भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

सत्यमेव जयते

केंद्रीकृत रोज़गार सूचना
रेसुब(आरपीएफ) 02/2024

रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल (कार्यकारी) की भर्ती

भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड
केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या रेसुब(आरपीएफ)02/2024
(रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल (कार्यकारी) की भर्ती)

आवेदन के प्रारंभ की तिथि	15-04-2024
आवेदन को जमा करने की समाप्ति तिथि	14-05-2024 (23.59 बजे तक)
संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां [कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है]	15-05-2024 से 24-05-2024 तक

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पद के लिए पात्र पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन 14.05.2024 के 23.59 बजे तक **केवल ऑनलाइन** जमा किए जाने चाहिए।

क्र.सं.	**पद का नाम**	**7वें सीपीसी में पे लेवल**	**प्रारंभिक वेतन (रु.)**	**चिकित्सा मानक**	**आयु(01-07-2024 को)***	**कुल रिक्तियाँ (सभी आरआरबी)**
1	**कांस्टेबल (कार्यकारी)**	**लेवल** -3	21700	B-1	18 - 28 वर्ष	4208

रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक बी में दिया गया है।

* **इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है**

महत्वपूर्ण निर्देश

i. कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीईएन (CEN) में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।

ii. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीईएन (CEN) के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले, पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते है। **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

iii. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पैरा 14(एफ f) पर दिए गए रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचीबद्ध वेबसाइटों पर ही केवल ऑन-लाइन आवेदन ही भरें।

iv. उम्मीदवारों **की पात्रता** ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी, जो कि आवश्यक बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/ श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र / दस्तावेज, दस्तावेज़ सत्यापन के समय मांगे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता / आयु / जाति /श्रेणी आदि के प्रमाण पत्र / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण पत्र / दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी / गलत है या यदि उम्मीदवार ने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

v. अ.जा / अ.ज.जा / अ.पि.व / ईडब्ल्यूएस / ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट, आदि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि इस सीईएन के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

vi. **चिकित्सा मापदंड:** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानक को पूरा करते हैं। **उम्मीदवार जो पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।**

vii. आयु (01.07.2024 को): 18 - 28 वर्ष (आयु में छूट के विवरण के लिए कृपया पैरा 5.1 देखें)।

viii. भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और / या ईमेल के माध्यम से होंगे।

ix. ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा । यदि किसी उम्मीदवार ने वर्ष 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा प्रकाशित पहले की अधिसूचनाओं के लिए पहले ही अपने लिए एक खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन (यानी, सीईएन नं आरपीएफ 02/2024) में लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने अब तक अपना खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले **खाता बनाना होगा।** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत सावधानी के साथ खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण भरें, क्योंकि खाता बनाए जाने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। **एक बार खाता बनाने के बाद 'खाता बनाएं' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में भरे गए विवरण को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।**

x. ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार **'खाता बनाएं' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरे गए विवरणों को छोड़कर** किसी भी विवरण को और संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह 15.05.2024 से 24.05.2024 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। **'खाता बनाएं' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है।**

xi. **24.05.2024 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।**

xii. **परीक्षा के चरण:** ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगें। भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी देना होगा। यदि उपर्युक्त शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से अपेक्षित संख्या के उम्मीदवार पीईटी / पीएमटी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, और पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी संवर्ग / समूह में कमी है, तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी / पीएमटी के दूसरे दौर के पीईटी / पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी/पीएमटी के अधिकतम दो राउंड होंगे।

xiii. **नकारात्मक अंकन:** सीबीटी में नकारात्मक अंकन **(प्रत्येक गलत उत्तर के लिए @ 1/3 अंक)** होगा।

xiv. इन पदों को निशक्तजन के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाना नहीं गया है और इसलिए इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों [समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी] अधिनियम, 1995 की धारा 33 और 47 के दायरे से छूट दी गई है।

xv. **प्रतिबंधित वस्तुएं:** जिन उम्मीदवारों के पास संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियां आदि), चूड़ियां, चैन, कंगन, श्रवण यंत्र, बटुआ / पर्स, बेल्ट, जूते, धातु-पहनाव आदि या पेन / पेंसिल जैसी कोई स्टेशनरी आइटम हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी उल्लंघन पर अयोग्यता के साथ ही कानूनी कार्यवाही और भविष्य की भर्ती परीक्षाओ से वंचित किया जाएगा।

xvi. परीक्षा स्थलों पर सामान सुरक्षित रखने के लिए क्लोक रूम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती हैं कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि कोई भी कीमती / प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।

महत्वपूर्ण: प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती हैं कि वे केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखें (नीचे पैरा 14 (एफ) में सूचीबद्ध)। नकली वेबसाइटों से सावधान रहें - वे भ्रामक और गलत जानकारी दे सकते हैं।

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करते हों।

1.2 उम्मीदवार को मात्र ई-बुलावा पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।

1.3 पात्रता शर्तो का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) तभी किया जाएगा जब उम्मीदवार भर्ती के सभी चरणों में अर्हता प्राप्त कर लेते है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएगें। यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार किया जा सकता है, और यदि नियुक्त किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा।

1.4 इस अधिसूचना के तहत पद हेतु आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यताएँ, शारीरिक मापन तथा चिकित्सा मानक सहित अन्य पात्रताओं को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत आवेदन जमा किए जाने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है। वे उम्मीदवार पात्र नहीं माने जाएँगे, जिनकी निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

1.5 **इस सीईएन के लिए एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएँगे तथा ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड तथा रेलवे भर्ती सेल की आगे की सभी परीक्षाओं के लिए वंचित कर दिया जाएगा।** इसी तरह, उम्मीदवारों के आवेदन जो सूचना और / या तथ्यों के मामूली बदलाव के साथ कई आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की भविष्य की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।

1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती सेल द्वारा वर्तमान में प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे उम्मीदवार इस अधिसूचना के लिए आवेदन न करें । ऐसे उम्मीदवारों का संज्ञान होते ही भर्ती के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

1.7 **जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**

1.8 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का उल्लेख केवल अपने मैट्रिक / एसएसएलसी / हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाणपत्र के अनुसार ही करना चाहिए।

a) नाम परिवर्तित होने की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में केवल अपने परिवर्तित नाम का उल्लेख ही करना चाहिए। तथापि, मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण पत्रों में दिए गए अन्य विवरण अवश्य सही/अनुकूल होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए ।

b) ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज़, दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.9 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर एक समान और समान होने चाहिए। हस्ताक्षर रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए न कि ब्लॉक/कैपिटल या असंबद्ध अक्षरों में। विभिन्न हस्ताक्षरों के उपयोग के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अयोग्यता हो सकती है।

1.10 सीबीटी, पीईटी/पीएमटी और दस्तावेज़ सत्यापन की तारीखें भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी जैसा कि पैरा 14 (एफ) में दिया गया है। सीबीटी, पीईटी/पीएमटी और दस्तावेज़ सत्यापन (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल पत्र पैरा 14 (एफ) में दिए गए अनुसार केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाने चाहिए। सीबीटी, पीईटी/पीएमटी और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए ई-कॉल लेटर में इंगित केंद्र, तिथि और शिफ्ट अंतिम होगी, और तिथि/समय/स्थान के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.11 सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में वृद्धि या कमी हो सकती है या शून्य भी हो सकती हैं। रेलवे द्वारा यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदों को भी बाद के चरण में शामिल किया जा सकता है। आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी, अतिरिक्त दस्तावेज़ सत्यापन आदि शुरू करने का अधिकार रखते हैं।

1.12 रेलवे प्रशासन के पास अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा सभी पर ऐसे निर्णय अंतिम एवं प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होगें। अधिसूचित रिक्तियाँ रद्द किए जाने की स्थिति मे परीक्षा में भाग ले चुके उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई शुल्क की धन वापसी नहीं की जाएगी। (शुल्क वापसी की जानकारी के लिए पैरा 7.0 देखें।)

1.13 **नियुक्ति का अधिकार**: आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को आरपीएफ / आरपीएसएफ में नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। आरआरबी का कार्य केवल सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है जो उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए निर्देशित करेगा, बशर्ते कि उम्मीदवार चिकित्सकीय रूप से फिट पाया जाए और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करे।

1.14 चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफे का भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना बल में नियुक्ति के लिए आवश्यक है।

1.15 चयनित उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा और / या क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेंगे।

1.16 **पदस्थापना**: सूचीबद्ध उम्मीदवार को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी जोन या आरपीएसएफ को आवंटित किया जाएगा।

1.17 **नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (अनुरोध पर) के लिए स्वीकार्य नि:शुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास, चयन के विभिन्न चरणों के लिए यानी सीबीटी, पीईटी / पीएमटी और दस्तावेज़ सत्यापन / मेडिकल परीक्षा (जैसा लागू हो) उनके विवरण और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनके ई-कॉल पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा ।
रेल गाडी आरक्षण और यात्रा बुक करते समय, मूल एससी और एसटी समुदाय प्रमाण पत्र उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाया जाना चाहिए। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग, भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक सहित चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

1.18 **आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों में किसी प्रकार की अनुवर्ती परिवर्तन/ संशोधन/ संवर्धन का समावेश करने का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड को है।**

1.19 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ, संबंधित संगठनों की भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्हें बताया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा **ऑनलाइन**
आवेदन प्रस्तुत करते समय इस आशय से संबंधित सहमति अथवा असहमति दी जा सकती है।

1.20 **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है**, अपने स्वयं के हित में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने ऑनलाइन आवेदन को अच्छी तरह से जमा करें और **किसी भी अंतिम मिनट की भीड़ से बचें।** अंतिम दिनों के दौरान भारी इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफ़िक की संभावना के कारण इस सावधानी की सिफारिश की जाती है।
उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन जमा करने के तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
Email:rrb.help@csc.gov.in
फोन: 9592001188
उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हैं इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होंगे ।

2.0 रिक्तियाँ: कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार ये रिक्तियां बढ़ या घट सकती हैं (संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी)। इस सीईएन में पद के लिए पैरामीटर (यानी, योग्यता, चिकित्सा मानक आदि) अनुलग्नक ए में हैं और विस्तृत रिक्तियां अनुलग्नक बी में हैं।

3.0 मेडिकल फिटनेस के मानक: डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं। उम्मीदवार को **भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी 'बी -1'** में अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाले या फ्लैट पैर, नॉक नी, स्क्विंट आंखें, कलर ब्लाइंडनेस और अन्य शारीरिक दुर्बलतावाले नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। मेडिकल परीक्षा के लिए भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी और इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को चयन सूची में शामिल किया गया है।

नोट:

a) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होता है। विवरण के लिए, उम्मीदवारों को **भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) खंड-I के अध्याय 5** को जिसे **www.indianrailways.gov.in** पर एक्सेस किया जा सकता है, पढ़ने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे चिकित्सकीय रूप से फिट हैं और उनके द्वारा चुने गए पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं।

b) भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक भिन्न हैं जिनका ब्यौरा **भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) खण्ड-I के पैरा 534** में दिया गया है जिसे **www.indianrailways.gov.in** पर एक्सेस किया जा सकता है।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता : उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

5.0 आयु सीमा: (01-07-2024 को)

पद	**सामान्यत: निर्धारित आयु** (01.07.2024 **को)**	**इस सीईएन के लिए निर्धारित आयु** (01.07.2024 **को)***
कांस्टेबल (कार्यकारी)	18 से 25 उम्र तक	18 से 28 उम्र तक

* ऐसे कई उम्मीदवार, जो आयुसीमा पार कर चुके है और कोविड 19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए है, उनको राहत देने के लिए कांस्टेबल पद हेतु आयु सीमा, निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष एक बारगी छूट देने का निर्णय लिया गया है ।

5.1 नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणी/ समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा / अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू होती है।

क्र.सं.	**समुदाय/ श्रेणी**		**ऊपरी आयु में छूट / अधिकतम आयु**
1.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार		5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)		3 वर्ष
3.	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् कम से कम 6 माह की सेवा की है	अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस	3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद)
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद)
		अजा/ अजजा	8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद)
4.	विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली, लेकिन दुबारा विवाह न करने बाली महिला उम्मीदवार	अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस	2 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	5 वर्ष
		अजा/ अजजा	7 वर्ष

5.2 उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच होगी : (दोनों तिथियाँ मिलाकर)

आयु वर्ग(वर्ष में)	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पूर्व नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (इससे पश्चात् नहीं)
	अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस	अपिव (गैर क्रीमी लेयर)	अजा / अजजा	सभी उम्मीदवार
18-28	02-07-1996	02-07-1993	02-07-1991	01-07-2006

i. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पहलू पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन छूटों में अधिकतम छूट मिलेगी, जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)।

ii. अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी।

iii. ऊपर पैरा 5.1 में दिए गए अनुसार ExSM उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी।

5.3 **ध्यान दें :** उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज़ की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उसके मैट्रिक / एसएसएलसी / दसवीं अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज़ की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर होने पर **उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी**।

6.0 शैक्षणिक योग्यताएँ :

a) कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्नक-ए देखें।
b) ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास अंतिम तिथि (यानी, 14.05.2024) को मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीईएन में निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।
c) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वालों को **आवेदन नहीं करना चाहिए।**

7.0 परीक्षा शुल्क:

इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग/समुदाय के अनुसार

निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा :-

क्र.सं.	उम्मीदवार का समुदाय	शुल्क
1	सभी वर्ग (नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा)के लिए रु.500/- रुपए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 500/ में से रु. 400/- की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी।	रु.500/-
2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूतपूर्व सैनिक/ महिलाएँ/ अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग(ईबीसी) के उम्मीदवारों के लिए रु. 250/-। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 250/- में लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी।	रु. 250/-
नोट: केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी।		

7.1 शुल्क के भुगतान का माध्यम :

a) ऑनलाइन शुल्क भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

b) शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य मोड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

c) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और पूर्ण तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह की अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (14.05.2024) तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन यदि कोई हो, के अधीन मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल होंगे ।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए हलफनामा: परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा (अनुलग्नक IV के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल होने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

7.3 **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)** उम्मीदवार वे हैं जिनकी **वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है** और रियायती शुल्क (उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार) के लिए पात्र हैं। इसके लिए, उनके पास

a) जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक III-A पर) में आवेदन की तारीख पर वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। निम्नलिखित प्राधिकरण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर तक कोई अन्य राजस्व अधिकारी

(2) अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के संसद सदस्य

(3) राज्य सभा के संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से निवास करते हैं।

(4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री। (या)

b) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र

(या)

c) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी प्रमाण पत्र।

रियायती शुल्क लेने वाले सभी ईबीसी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड / इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और इसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें विफल होने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणी हैं, और ईबीसी को ओबीसी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं और नौकरी आरक्षण के लिए नहीं।

7.4 **परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):**

a) सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में अपने परीक्षा शुल्क (यानी, ₹ 400/- या ₹ 250/- के रूप में लागू माइनस बैंक शुल्क) के वापसी योग्य हिस्से को प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण **(बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड)** का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

b) **सही बैंक खाते के विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और आरआरबी इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार को स्वीकार नहीं करेगा।**

c) गलत, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण :

8.1 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना में विद्यमान नियमों के तहत अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) - गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है। (**विवरण** के लिए रिक्ति तालिका देखें)

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणी हैं, और ईबीसी नौकरी आरक्षण के लिए हकदार नहीं है ।

8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त

पर अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारणीय होंगे (हालाकि अनारक्षित के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं)। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति केवल संबद्ध समुदायों के उम्मीदवारों के संबंध में ही विचार किया जाएगा।

8.3 इसलिए अजा,अजजा और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हैं, वे अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उम्र, योग्यता या अंकों में किसी भी छूट / रियायत के बिना सामान्य (अनारक्षित) उम्मीदवारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। किसी भी मामले में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को इंगित करें।

8.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना चाहिए। प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुलग्नक- I (SC और ST उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक- II (OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक- III (EWS उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूपों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.5 ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह भी प्रमाणित किया जाना है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. द्वारा संशोधित (Res.) दिनांक 13/09/2017*" अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। (*आगे संशोधन, यदि कोई हो, इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त)।

8.6 ओबीसी के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपने मूल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार मान्य होना चाहिए, **और एक स्व-घोषणा** (अनुलग्नक II ए में दिए गए प्रारूप में) जिसमें कहा गया है कि वे "क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं"। नहीं तो, ओबीसी-एनसीएल के रूप में आरक्षण के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं इसके स्थान पर उन्हें केवल सामान्य (अनारक्षित) उम्मीदवार माना जाएगा बशर्ते कि वे सामान्य के सभी मापदंड पूरे करते हो।

8.7 **ध्यान दें**: इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार समुदाय/श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.8. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण :

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग -एनसीएल आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय ₹ 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में की जाए, ताकि उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिल सके। आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनका पारिवारिक आय कुछ भी हो :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट ;
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होलिडिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न -भिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाए। उक्त उद्देश्य के लिए शब्द "परिवार" में शामिल होंगे - आरक्षण की माँग करने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और इसके साथ - साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा:

a) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / कलेक्टर /उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्याकारी माजिस्ट्रेट अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

b) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।

c) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों

d) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना हेतु आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए । तदनुसार, उनको प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, जारी करने वाले जिला और राज्य को ऑनलाइन आवेदन में भरना है । इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन पर केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत ही विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

9.0 क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण :

9.1 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों को 10% श्रैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

9.2 भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जहाँ कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है, वह कुल पुरूष एंव महिला के 10% है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए लेंगिक आधार पर आरक्षण नहीं है।

9.3 पीईटी/पीएमटी के दूसरे दौर के बाद महिला और भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, तो रिक्त पदों को संबंधित श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक:

10.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है, परंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा वाहनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल,लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बल और केंद्र सैनिक पुलिस बल(सीएपीएफ) में सेवा की है।

तथा

a) वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त, सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)

b) ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)

c) जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरुप कार्यमुक्त कर दिया गया है, (अथवा)

d) जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर या जो उसके अनुरोध पर अथवा बर्ख़ास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान किया गया है, तथा जिसमें प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; (अथवा)

f). सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है; (अथवा)

g) वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14.04.1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)

h.प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले; (अथवा)

i. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलो में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपने सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोज़गार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक की वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें।

10.3 तदनुसार, ऐसे सेवारत सुरक्षा कर्मी, जो केंद्रीय रोज़गार सूचना की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (दिनांक 13/05/2025 या उससे पूर्व) के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि ऐसे उम्मीदवारों के पास केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

10.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' में भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले कर असैनिक रोज़गार पहले ही प्राप्त कर लिए हैं (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय/राष्ट्रीकृत बैंक आदि) को केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत ग/ घ के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में असैनिक रोज़गार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएँगे। ऐसे उम्मदीवार केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।

10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोज़गार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएँगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबध में घोषणा/ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने कि स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.6 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) के खंड-I के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailway.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

11.0 **सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) :**

रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/ परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट: उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने/ परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/ उम्मीदवारी को रद्द्/ अस्वीकार किया जा सकता है।

12.0 **भर्ती प्रक्रिया :**

a) उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा **केवल ऑनलाइन आवेदन** प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और डीबार कर दिया जाएगा।
b) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:
   i. कंप्यूटर आधारित टेस्ट
   ii. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) / शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी)
   iii. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)
c) परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी।
d) किसी भी चरण के स्थगन या स्थान, तिथि और शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

12.1 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)** :

परीक्षा का स्तर 10वीं/मैट्रिक स्तर का होगा।

a) सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम:
   a) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 120
   b) उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी
   c) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन @ 1/3 अंक होंगे।
   d) कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
   e) पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत: यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल - 35%, एससी और एसटी - 30%

b) सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा

c) **सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम:** प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है।

a) अंकगणित (35 अंक):

संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, आदि पर प्रश्न

b) जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग (35 अंक):

एनालॉजीज, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन- निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क आदि

c) सामान्य जागरूकता (50 अंक):

प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा; वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

12.2 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक माप (पीएमटी):**

i. ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगें। भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी देना होगा। यदि उपर्युक्त शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से अपेक्षित संख्या के उम्मीदवार पीईटी / पीएमटी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, और पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी संवर्ग / समूह में कमी है, तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी / पीएमटी के दूसरे दौर के पीईटी / पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी/पीएमटी के अधिकतम दो राउंड होंगे। पीएमटी के दूसरे दौर के बाद महिला और पूर्व सैनिकों की रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, तो रिक्त पदों को संबंधित श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और यह सामान्य योग्यता होगी। कोई अंक नहीं दिया जाना है।

ii. पीईटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	**1600 मीटर दौड़**	**800 मीटर दौड़**	**लंबी कूद**	**ऊंची कूद**
कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष	5 min 45 secs	-	14 ft	4 ft
कांस्टेबल (कार्यकारी) महिला	----	3 mins 40 secs	9 ft	3 ft

iii. पीएमटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं :

श्रेणी	**ऊंचाई Height (in CMs)**		**छाती (in CMs) (Only for Male)**	
	पुरुष	**महिला**	**अविस्तारित**	**विस्तारित**
यूआर/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी	165	157	80	85
एससी/एसटी	160	152	76.2	81.2
गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊंनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए	163	155	80	85

नोट:

i. 1600/800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए, उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे।

ii. पूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी लेना होगा।

iii. एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए उपरोक्त मानदंड के अनुसार सभी टेस्ट में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।

iv. पुरुष उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम ऊंचाई नहीं है, उन्हें छाती की माप के लिए नहीं माना जाएगा और उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

v. 1600 मीटर/800 मीटर में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऊंचाई और छाती के संबंध में पात्रता के लिए मापा जाएगा। छाती का माप केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए लिया जाएगा। यदि किसी पुरुष उम्मीदवार की अविस्तारित छाती माप पात्रता सीमा से कम है, तो विस्तारित माप नहीं लिया जाएगा और उसे अयोग्य माना जाएगा।

vi. उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम ऊंचाई, छाती (अविस्तारित / विस्तारित) नहीं है, उन्हें पीएमटी में असफल माना जाएगा।

vii. पीईटी/पीएमटी उत्तीर्ण करना है। कोई अंक नहीं दिया जाना है।

viii. फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण सेल की स्थापना की जाएगी। उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख के तीन दिनों के भीतर पीसीएससी को अभ्यावेदन करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में पीईटी, पीएमटी, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है।

12.3 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) :

i. सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर और पीईटी और पीएमटी में उनकी योग्यता के अधीन, उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए विचार किया जाएगा।

ii. एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार, उन्हें उपलब्ध किसी भी छूट का लाभ उठाए बिना पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चुने गए, यूआर रिक्तियों के विरुद्ध गिना जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामलों में, उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी यानी अधिक आयु के उम्मीदवार को उच्च वरिष्ठता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान होती है तो उन्हें आरोही वर्णमाला क्रम (a से z) में रखा जाएगा।

iii. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली अपेक्षित मेडिकल फिटनेस परीक्षा, शैक्षिक और जाति प्रमाण-पत्रों के अंतिम सत्यापन, स्थानीय प्रशासन से उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन के अध्यधीन है।

iv. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि भर्ती समिति केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करती है और नियुक्ति केवल संबंधित क्षेत्रों / आरपीएसएफ द्वारा की जाती है।

v. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी और पीईटी / पीएमटी में उनके प्रदर्शन के बावजूद, अंतिम चयन में नहीं माना जाएगा।

vi. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट के साथ अपने सभी मूल दस्तावेज जमा करने होंगे।

vii. इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को पोर्टल - https://oirms-ir.gov.in/rrbdv के माध्यम से अपनी डीवी तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपलोड करनी चाहिए।

viii. उन उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा जो दस्तावेज़ सत्यापन की अपनी तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त होने के लिए उत्तरदायी है।

प्रमाण पत्र का प्रारूप

निम्नलिखित मूल दस्तावेज, साथ ही साथ उनकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी, पीईटी / पीएमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक होगी।

a) आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र,
b) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिक प्रमाण पत्र,
c) केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए)।
d) भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्वहन/डिसचार्ज प्रमाण पत्र,
e) स्व-सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ की दो प्रतियां,
f) सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामले में वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी),

g) अधिवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो,

h) केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र।

नोट- I: उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार करना चाहते हैं / या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल रूप में अपेक्षित / प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, एससी / एसटी / ओबीसी / भूतपूर्व सैनिक / ईडब्ल्यूएस स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और पात्र होने पर उनकी उम्मीदवारी / आवेदनों पर सामान्य (यूआर) श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट--II: सभी प्रमाणपत्र या तो अंग्रेजी में या केवल हिंदी में होने चाहिए। जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी में नहीं हैं, जहां भी / जब भी आवश्यक हो, स्व-सत्यापित अनुदित संस्करण (हिंदी/ अंग्रेजी में) की प्रस्तुति किया जाना चाहिए।

नोट III: - अल्पसंख्यकों से तात्पर्य मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी से है (इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तारीख तक पुनरीक्षण, यदि कोई प्राप्त हो)। यदि दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हेड पर जमा करना होता है।

नोट IV:- इसके अलावा, ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र विशेष रूप से इंगित करना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. संशोधित (Res.) दिनांक 09/03/2004 द्वारा इसके बाद के जो भी संशोधन है" अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है, इस सीईएन की अंतिम तिथि तक प्राप्त और संशोधन, यदि कोई हो तो।

नोट- V: - आवश्यक दस्तावेजों प्रस्तुत करने में विफलता से उम्मीदवार की अयोग्यता हो जाएगी सिवाय जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को छोड़कर, जिस स्थिति में उम्मीदवार को अनारक्षित माना जाएगा। मूल प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने के लिए समय का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां जाति प्रमाण पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, या जहां किसी प्रमाण पत्र के खो जाने/ चोरी होने का दावा किया गया है (एफआईआर द्वारा समर्थित दावा), जिस स्थिति में उम्मीदवार को चार (4) सप्ताह के समय विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

12.4 चिकित्सा परीक्षा:

दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, अंतिम परिणाम में जो उम्मीदवार स्थान प्राप्त करते है उन्हें रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उन्हें भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी 'बी -1' में अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाले या फ्लैट पैर, घुटने खटखटाने, भैंगापन आंखें, रंग अंधापन और अन्य शारीरिक दुर्बलताएं नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। मेडिकल परीक्षा के लिए भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी और इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को चयन सूची में शामिल किया गया है।

13.0 प्रशिक्षण:

चयनित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा तय किए गए आरपीएफ / आरपीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र या किसी अन्य संस्थान में से किसी एक में कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण करना होगा। प्रशिक्षण के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना बल में नियुक्ति के लिए आवश्यक है।

14.0 आवेदन कैसे करें:

a) गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी सूचनाओं और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

b) उम्मीदवारों को पहले नीचे पैरा 14 (एफ) में आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में दिए गए लिंक के माध्यम से इस सीईएन के लिए 'एक खाता बनाएं' होगा। खाता बनाने के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए। 'खाता बनाएं' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में भरे गए विवरणों में कोई बदलाव बाद में नहीं किया जाएगा।

c) प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आवेदन जमा करने की अनुमति है। आवेदन केवल नीचे पैरा 14 (एफ) में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। एक उम्मीदवार द्वारा कई आवेदनों के जमा करने के परिणामस्वरूप सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और रोक लगा दी जाएगी।

d) **आवेदन भरने से पहले तैयार रखे जाने वाले अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज:**

   i. JPEG छवि (आकार 30 से 70 केबी) में उम्मीदवार की हालिया, स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ तस्वीर (एक सादे सफेद पृष्ठभूमि के) - बिना काला चश्मा और / या टोपी पहने हुए।

   नोट: भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास वही फोटोग्राफ की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां होनी चाहिए।

   ii. रनिंग हैंडराइटिंग में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG छवि (आकार 30 से 70KB)

   iii. अजा/अजजा प्रमाणपत्र (केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) पीडीएफ प्रारूप में (500 केबी तक)।

e) उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत सामान्य सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्र (CSC) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) द्वारा प्रबंधित की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केन्द्रों की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम सामान्य सेवा केंद्र जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - Find My Csc (https://findmycsc.nic.in/csc/)।

f) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव पर प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए अक्सर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर जाएं।

रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता	रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता
(1)	(2)	(1)	(2)
अहमदाबाद	www.rrbahmedabad.gov.in	गुवाहाटी	www.rrbguwahati.gov.in
अजमेर	www.rrbajmer.gov.in	जम्मू - श्रीनगर	www.rrbjammu.nic.in
प्रयागराज	www.rrbald.gov.in	कोलकाता	www.rrbkolkata.gov.in
बेंगलूरू	www.rrbbnc.gov.in	मालदा	www.rrbmalda.gov.in
भोपाल	www.rrbbhopal.gov.in	मुज़फ्फरपुर	www.rrbmuzaffarpur.gov.in
भुवनेश्वर	www.rrbbbs.gov.in	पटना	www.rrbpatna.gov.in
बिलासपुर	www.rrbbilaspur.gov.in	रांची	www.rrbranchi.gov.in
चंडीगढ़	www.rrbcdg.gov.in	सिकंदराबाद	www.rrbsecunderabad.gov.in
चेन्नई	www.rrbchennai.gov.in	सिलिगुड़ी	www.rrbsiliguri.gov.in
गोरखपुर	www.rrbgkp.gov.in	तिरुवनंतपुरम	www.rrbthiruvananthapuram.gov.in
		मुंबई	www.rrbmumbai.gov.in

g) मूल दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी के लिए प्रमाण प्रदान करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर होगी।

h) **महत्वपूर्ण**:

i. उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और / या ईमेल के माध्यम से होंगे।

ii. आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

iii. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपने पंजीकरण संख्या को ध्यान से नोट करें और याद रखें।

14.1 **ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश:**

खाता बनाने के बाद, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देशों का पालन करें।

a) उम्मीदवारों को सही जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और जमा करने से पहले फिर से जांच करनी होगी।

b) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएगा।

c) **परीक्षा का माध्यम**: सीबीटी के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक से परीक्षा का माध्यम चुनना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा में और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।

d) आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए गए परीक्षा शुल्क के भुगतान के तरीके का चयन करने और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बारे में सतर्क रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।

e) अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान पर एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

नोट: यदि उम्मीदवार चाहे तो ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद लिया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

15,0 **आवेदन में संशोधन:**

a) ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में भरे गए विवरणों को छोड़कर किसी भी विवरण को और संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो प्रत्येक अवसर के लिए वह ₹250/- (अप्रतिदेय) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। **'खाता बनाएं' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है।**

b) संशोधन शुल्क का भुगतान समुदाय और श्रेणी के बावजूद सभी उम्मीदवारों द्वारा किया जाना है।

c) यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को SC/ST से UR या OBC या EWS में संशोधित करता है, तो उसे परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात ₹250 रुपये का भुगतान संशोधन शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। ऐसा करने में विफलता के मामले में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

d) इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार Ex.SM से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/नॉन Ex.SM आदि में स्विच कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात रु. 250 रुपये का भुगतान संशोधन शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। । ऐसा करने में विफलता के मामले में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

e) ऑनलाइन आवेदन के संशोधनों को प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान के अधीन किसी भी संख्या में अनुमति दी जाएगी।

f) संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन संशोधन, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **अर्थात, 14.05.2024 (23:59 बजे)** के बाद 10 (दस) दिनों तक इस सीईएन के लिए अनुमति दी जाएगी, संशोधन विंडो 15.05.2024 से 24.05.2024 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं करेंगे।

16.0 **अमान्य आवेदन / अस्वीकृति**:

a) ऑनलाइन आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति की जा सकती है:

i. एक से अधिक आवेदनों के मामले में, सभी आवेदनों को पूर्ण तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

ii. अमान्य फोटोग्राफ (यानी, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे खराब रिज़ॉल्यूशन, पूरे शरीर का फोटो, केवल साइड व्यू, पहचानने न योग्य चेहरे, फोटोकॉपी फोटोग्राफ, ग्रुप फोटो, झुका हुआ / उल्टा चित्र, आदि।

iii. अमान्य हस्ताक्षर (यानी, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे हस्तलेखन चलाने के बजाय ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों का उपयोग, खराब रिज़ॉल्यूशन, अधूरी छवि आदि।

iv. उम्मीदवार का नाम किसी भी आरआरबी/आरआरसी की प्रतिबंधित सूची में शामिल है।

v. कोई अन्य अनियमितता।

b) **अस्वीकृत आवेदन**: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण लॉग इन करके संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर अस्वीकृति के कारण के साथ देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों की अस्वीकृति के कारण परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

17.0 **ई-कॉल पत्र से संबंधित निर्देश:**

(a) सीबीटी शेड्यूल के बारे में जानकारी और विवरण और ई-कॉल पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक आरआरबी की वेबसाइटों पर दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

(b) योग्य उम्मीदवार सीबीटी की तारीख से 4 (चार) दिन पहले आरआरबी वेबसाइटों से सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। (हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।

(c) डाक द्वारा उम्मीदवारों को कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।

(d) सीबीटी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को उन्हें सावधानी से पढ़ना और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन करने में विफलता उनकी अयोग्यता का कारण बन सकती है।

(e) **नि:शुल्क यात्रा सुविधा**: एससी और एसटी उम्मीदवारों के मामले में जो मुफ्त ट्रेन यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-कॉल पत्र में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा। ऐसे एससी और एसटी उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और एससी / एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। **यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण ले जाना चाहिए**, जिसमें विफल होने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा के रूप में माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

(f) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो आईडी (अर्थात, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो आईडी कार्ड (यदि अभी भी पढ़ रहा है), आदि) परीक्षा हॉल में लाना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(g) सीबीटी/पीईटी/पीएमटी/ डीवी/एमई के दौरान उम्मीदवारों को उसी रंग के पासपोर्ट फोटोग्राफ की एक प्रति भी लानी होगी जो उनके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई थी।

18.0 अनुचित साधनों का प्रयोग:

(a) कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या प्रयास, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाना आदि का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो सभी आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से ही नियुक्त किया गया है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(b) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित और अनुचित प्रभाव का कोई भी उपयोग, संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य और डीबार कर देगा।

(c) इसके अलावा, 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' के तहत अनुचित साधन और अपराध दंडनीय हैं। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय होंगे।

(d) **चेतावनी**: रेलवे में प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों के उपयोग से नियुक्ति देने के वादा करने वाले असामाजिक तत्वों और जॉब रैकेटियर से सावधान रहें। आरआरबी भर्ती के लिए किसी एजेंट अथवा कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

19.0 विविध :

(a) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी बेमेल के मामले में, संबंधित आरआरबी एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगा।

(b) आरआरबी पहचान को क्रॉस-सत्यापित करने और किसी भी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं का संचालन करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

(c) आरआरबी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी / पीईटी / पीएमटी / डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी इस सीईएन में अधिसूचित कोटियों में से किसी के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के हिस्से या पूरे को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(d) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करने, गलत सूचना के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों के संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(e) आरआरबी किसी भी अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

(f) इस सीईएन से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुद्दा, संबंधित माननीय उच्च न्यालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा, जिसके तहत संबंधित आरआरबी स्थित है।

(g) व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, आरआरबी वेबसाइटों में प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

चेतावनी

- दलालों और जॉब रैकेटियर से सावधान रहें जो रेलवे में नौकरी हासिल करने के झूठे वादों से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके। **आरआरबी** ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के अनुसार किया जाता है। कृपया बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फंसें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से **आरआरबी** को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी की **केवल आधिकारिक वेबसाइट** से परामर्श करें जैसा कि ऊपर अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। उन्हें असामाजिक तत्वों/दलालों द्वारा डाली गई फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहना चाहिए।

20.0 **इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में प्रयोग हुई संक्षिप्तियाँ** :

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट, डीवी = दस्तावेज़ सत्यापन, एमई = चिकित्सा परीक्षा, पीईटी = शारीरिक दक्षता परीक्षण, पीएमटी= शारीरिक मापन परीक्षण
आरक्षण/ आयु में छूट वर्ग	ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपू-सै = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर, अ.जा = अनुसूचित जाति, अजजा = अनुसूचित जनजाति, अना = अनारक्षित (सामान्य)
रेलवे जोन/ उत्पादन इकाई / संगठन	म.रे = मध्य रेलवे,पू.म.रे= पूर्व मध्य रेलवे,पू.त.रे = पूर्वी तट रेलवे, पू.रे = पूर्वी रेलवे, आईसीएफ = इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आरसीएफ = रेल कोच फैक्ट्री, आरडब्ल्यूएफ = रेल व्हील फैक्ट्री, उ.रे = उत्तर रेलवे, उ.म.रे = उत्तर मध्य रेलवे,उ.पू.रे = उत्तर पूर्वी रेलवे,पू.सी.रे = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उ.प.रे = उत्तर पश्चिम रेलवे, आरडीएसओ = अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, द.रे = दक्षिण रेलवे, द.म.रे = दक्षिण मध्य रेलवे,द.पू.रे = दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,द.प.रे = दक्षिण पश्चिम रेलवे,प.रे = पश्चिम रेलवे,प.म.रे = पश्चिम मध्य रेलवे रेभबो = रेलवे भर्ती बोर्ड, रेभसे = रेलवे भर्ती सेल
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई -अहमदाबाद, एआईआई-अजमेर, पीआरवाईजे-प्रयागराज, बीबी--मुंबई,बीबीएस-भुवनेश्वर, बीपीएल-भोपाल, बीएसपी-बिलासपुर, सीडीजी-चंडीगढ़, जीकेपी-गोरखपुर, जीएचवाई-गुवाहाटी, जेएटी -जम्मू श्रीनगर, केओएल-कोलकाता, एमएएस-चेन्नई, एमएलडी-मालदा, एमएफपी-मुज़फ्फरपुर,पीएनबीई-पटना, आरएनसी -रांची, एसबीसी -बेंगलूरु, एससी-सिकंदराबाद,एसजीयूजे-सिलीगुड़ी, टीवीसी-तुरुवनंतपुरम।
सामान्य	सीईएन = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, एलटीआई= बाएं अंगूठे का निशान, पीएसयू= सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई,एनओसी = अनापत्ति प्रमाणपत्र, पीसीएससी= प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त

अनुलग्नक ए

श्रेणी नं.	**पद का नाम**	**7वें पीसी में पे लेवल**	**वेतन**	**चिकित्सा स्तर**	**विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**
01	कांस्टेबल (कार्यकारी)	लेवल-3	21700	बी 1	उपयुक्त नहीं	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष

अनुलग्नक बी

पद/रैंक	पुरुष						महिला						भूतपूर्व सैनिक कुल रिक्ति का 10%
	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	कुल	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	कुल	
कांस्टेबल (कार्यकारी)	1450	536	268	966	357	3577	256	95	47	170	63	631	420

नोट I: भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों (एक्सएसएम) और महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कुल रिक्ति का क्रमशः 10% और 15% होगा।

नोट II: भर्ती के दौरान उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं की कमी के कारण खाली रह गई भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं की रिक्तियों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी* . . . . का बेटा/बेटी* . . . . .गांव/ शहर . . . . / जिला / संभाग* . . . . की . . . . राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* ....जाति*/जनजाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है:-

@संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

@संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

@संविधान (अनुसूचित जातियां) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

@संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

[जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और) द्वारा संशोधित किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967.

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 जैसा कि समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

%2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती*...... को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है। .पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी............ गांव/कस्बे के*। . . . . में/जिला/संभाग*. . . . . राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के* .... जो .... जाति*/जनजाति से संबंधित है जिसे राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश* दिनांक .... द्वारा जारी किया गया।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*..और/या* उनका/उनका परिवार सामान्यतः गांव/कस्बे में रहता है*......................... जिला/मंडल*.. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* का ....

स्थान........................

हस्ताक्षर..............................

पद का नाम ....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश.................

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

@कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% उस अनुच्छेद को हटा दें, जो लागू नहीं है।

ध्यान दें: (ए) यहां इस्तेमाल किए गए शब्द "आमतौर पर निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (पद से नीचे नहीं) प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट)। 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।

4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

अनुलग्नक - II

ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप

अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करना

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती* ______________________________ ग्राम/नगर*______________________ के पुत्र/पुत्री* ____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में __________ ______________________ समुदाय से संबंधित है। भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या __________________________ दिनांक ______________** के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु. ______________________________________ और/या उसका/उसका परिवार सामान्यतः ____________________ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* के ______________________________ जिला/मंडल* में रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. संशोधित (Res.) दिनांक 13/09/2017*** द्वारा इसके बाद के जो भी संशोधन है" अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से **संबंधित नहीं है।**

दिनांक: ____________

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय सील

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

*** समय-समय पर यथासंशोधित।

नोट:

क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

बी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफादार मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफादार मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)).

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी, जो उस क्षेत्र के तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी के पद से नीचे न हो, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

अनुबंध ।।ए

अपिव (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र का प्रोफार्मा
दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उम्मीदवार, जिन्होंने केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरपीएफ 02/2024 के पदों के लिए आवेदन किया था

"मैं, ... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ग्राम/नगर/ सिटी डिस्ट्रिक .... राज्य .... एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं .... समुदाय (अपनी उपजाति बताएं) से संबंधित हूं जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं और इसके बाद OMNo.36033/1/2013-Estt.(Res.) दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से संशोधन किया गया।

स्थान: उम्मीदवार के हस्ताक्षर ....
दिनांक: उम्मीदवार का नाम ....

आरआरबी रोल. न...

अनुबंध III

______________________________सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या________________________

दिनांक:____________

वर्ष______________ के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती. / कुमारी ____ ____ के स्थायी निवासी का बेटा/बेटी/पत्नी, गांव/गली ___________________ डाकघर _________________ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिला ___________________ पिन कोड _______________ जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है, क्योंकि वित्तीय वर्ष ________ के लिए उसके "परिवार" की सकल वार्षिक आय** 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। । उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ____ जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना है जिसका प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी से किया जाना है।

की मुहर सहित हस्ताक्षर
कार्यालय _______________________
नाम ________________________________
पद का नाम ___________________________

* **नोट 1** : आय में सभी स्रोत शामिल हैं यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

** **नोट 2** : इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

*****नोट 3** : ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ दिया गया है।

आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

(iv) उपमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

अनुबंध III ए

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों का आय प्रमाण पत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरपीएफ 02/2024 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क की छूट के लिए प्रोफार्मा

प्रमाणपत्र संख्या।

1. उम्मीदवार का नाम: ....

2. पिता का नाम: ....

3. आयु: ....

4. आवासीय पता: ....

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों और आंकड़ों में): ....

तिथि

हस्ताक्षर:

नाम:

जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर:

ध्यान दें: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का मतलब वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक आय रुपये 50,000/- प्रति वर्ष से कम है। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर का कोई अन्य राजस्व अधिकारी

(2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा संसद सदस्य

(3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा संसद सदस्य, जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।

(4) देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय मंत्री।

अनुबंध IV

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरपीएफ 02/2024 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परीक्षा शुल्क की छूट का प्रोफार्मा

"मैं, ... श्री का पुत्र/पुत्री .... गाँव/कस्बे/शहर का निवासी ....जिला .... राज्य .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं.............................. (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / पारसी (पारसी) को इंगित करें) संबद्ध रखता हूँ/ रखती हूँ ।

दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान: उम्मीदवार का नाम

ध्यान दें: दस्तावेज़ सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (यानी मुस्लिम /सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/पारसी) से संबंधित है।

अनुबंध V

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा
लाभ उठाकर नागरिक रोजगार के संबंध में
भूतपूर्व सैनिक कोटा

मैं समझता हूं कि मैं इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय कोई रोजगार प्राप्त किया हो। पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर नागरिक पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / वैधानिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित)।

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूं:

क) सीईएन _____________ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पहले, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई नागरिक रोजगार हासिल नहीं किया है।

बी) मैंने सिविल रोजगार हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने सीईएन _____________ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र दिया है, जिसके लिए मैंने इसमें शामिल होने से पहले आवेदन किया है। नागरिक रोजगार. वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)।

स्थान: हस्ताक्षर: ....

दिनांक: नाम: ....

अनुक्रमांक: ....